न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 56/2017
जीसीएमएस न0 2017/00236

1. श्री गोरधन सिंह पिता गोकल सिंह जी जाति राजपूत उम्र 55 वर्ष निवासी बांसा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ राज०

प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा
2. श्री हंसराज पिता बद्रीलाल जी जाति डांगी उम्र 58 वर्ष निवासी पिपलिया गदिया तहसील निम्बाहेडा राज०
3. श्री जीतमल पिता श्री बद्रीलाल जी जाति डांगी उम्र 52 वर्ष निवासी पिपलिया गदिया तहसील निम्बाहेडा राज०
4. श्री छगनलाल पिता श्री बद्रीलाल जी जाति डांगी उम्र 45 वर्ष निवासी पिपलिया गदिया तहसील निम्बाहेड़ा राज०
5. श्री प्रभुलाल पिता श्री कनीराम जी जाति डांगी उम्र 30 वर्ष निवासी पिपलिया गदिया तहसील निम्बाहेडा राज०
6. श्रीमती लक्ष्मीबाई पिता कनीराम जी जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी ✓ पिपलिया गदिया तहसील निम्बाहेड़ा राज०
7. श्री हेमराज पिता कनीराम जी जाति डांगी उम्र 26 वर्ष निवासी पिपलिया गदिया तहसील निम्बाहेडा राज०
8. श्रीमती हुडीबाई पिता कनीराम जी जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी पिपलिया गदिया तहसील निम्बाहेडा राज०
9. श्रीमती टमुबाई धर्मपत्नि स्व० श्री कनीराम जी जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी पिपलिया गदिया तहसील निम्बाहेड़ा राज०

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री आशाराम प्रजापत – अधिवक्ता प्रार्थी

दिनांक 20.12.2024

:: निर्णय ::

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा बांसा पटवार हल्का फाचरअहीरान के आराजी नम्बर 31 रकबा 0.51 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 37 रकबा 1.16 हैक्टेयर भूमि स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:57:24 IST
Reason: SelfAttested

2. दलीचन्द पिता पेमा जी डांगी निवासी बांसा व [illegible] विपक्षीगण 2 ता की कब्जे शुदा आराजीयात है, उत्तर सुल्तानसिंह [illegible] श्री रामसिंह जी राजपूत निवासी बांसा की आराजीयात व दक्षिण [illegible] आराजीयात के मध्य की है तथा उक्त आराजीयात के जिसके नये आराजी नम्बर 31 रकबा 0.51 हे० [illegible] 2 रुपये 55 पैसे प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में द[illegible] है। जिसके पुराने आराजी 14 मीन/1 रकबा 2 बीघा लगानी 2 रुपये है।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

Scanned by CamScanner

3. उपरोक्त आराजीयात जिसके पडौस प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित किये हुए है सहवन से जो आराजीयात प्रार्थी के कब्जे में है उस आराजीयात के नम्बर नक्शे में अंकित नही किये गये है और ना ही राजस्व रेकार्ड में अंकित किये है। चूंकि जब आराजीयात प्रार्थी को आवन्टन कर कब्जा दिया गया उस समय मुल आराजीयात नम्बर 14 मीन थे जिसका रकबा बीघा दर्ज रेकार्ड चला आ रहा था तथा उक्त आराजीयात में से ही प्रार्थी को आराजीयात आवंटन की गई व जब से आराजीयात आवंटन की गई व प्रार्थी को आराजीयात का कब्जा दिया गया तब से ही आराजीयात का कब्जा उपरोक्त पड़ौसो के मध्य का प्रार्थी का चला आ रहा है

4. प्रार्थी ने जब आराजीयात आवंटन हुई उसके बाद काफी मेहनत कर उसमें मिट्टी आदि डलवाकर काफी रुपया व धन लगाकर उपजाऊ बनायी है तथा जहा पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है वह आराजी नम्बर 37 दर्ज कर रखी है व आराजी नम्बर 37 के खातेदार विपक्षीगण है जबकि विपक्षीगण का कब्धा प्रार्थी की आराजीयात के बाद पश्चिम दिशा में जो रास्ता है उसके बाद है तथा वह आाराजीयात आराजी नम्बर 31 है। प्रार्थी ने अपनी आराजीयात के तीनो ओर फुट के पत्थर की दिवार भी बना रखी है।

5. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता योगेन्द्र सोलंकी ने वकालतनामा मय ईकबाली जवाब पेश किया तथा विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अनुशंषा मय जांच रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की जो निम्नानुसार हैः—

प्रार्थी गोरधनसिंह पिता गोकलसिंह राजपूत के नाम ग्राम बांसा के आ०नं0 31 रकबा 0.51 है० भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसके पुराने नम्बर 14 मी. रकबा 2 बीघा मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है। विपक्षी हंसराज पिता बद्रीलाल डांगी, छगनलाल पिता बदरीलाल डांगी वगैराह सा. पिपलिया के नाम ग्राम बांसा के आ.नं. 37 रकबा 1.16 है. भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसके मिलान क्षेत्रफल से पुराने नम्बर 598/14 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा है। मौका निरीक्षण से प्रार्थी गोरधनसिंह पिता गोकलसिंह का आराजी नं. 37 पर कब्जा पाया गया तथा इसी आराजी पर काश्त कर रहे है। अभी वर्तमान नक्शा एवं सेटलमेंन्ट से पूर्व का नक्शा का मिलान किया गया जिसमें सेटलमेंन्ट से पूर्व के आराजी नं0 14 मी.. 598/14 का नक्शा तरमीम, वर्तमान नक्शा आ०नं० 31, 37 की तरमीम सही पाई गई। इस प्रकार सेटलमेंन्ट बाद नक्शा में तरमीम गलत दर्ज नहीं हुई। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। वर्तमान नक्शा एवं सेटलमेंन्ट से पूर्व का नक्शा एवं मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि तरमीम गलत दर्ज नहीं हुई अतः प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र निरस्त किया जाने की अनुशंषा की गई।

6. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***136. Correction of errors.** - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue [illegible] notice during the course of his inspection in an[illegible]giste[illegible]*
>
> ***Provided that** when any error is n[illegible]d by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be correct[illegible] unless a notice to show cause has been given to the parties*

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:57:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

धारा 131 में मानचित्र तथा क्षेत्रमिति (फील्ड बुक) का संधारण (Maintenance) – सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात् भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा व राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्ड बुक रखी जाएगी वह प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येक गाँव या गाँव के भाग, भू–सम्पति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्ड बुक में की गई बतलाई जावे, सही करेगा।

7. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बावत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्ट्या राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

6. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि प्रार्थी गोरधनसिंह पिता गोकलसिंह राजपूत के नाम ग्राम बांसा के आ०नं0 31 रकवा 0.51 है० भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसके पुराने नम्बर 14 मी. रकवा 2 बीघा मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है। विपक्षी हंसराज पिता बद्रीलाल डांगी, छगनलाल पिता बदरीलाल डांगी वगैराह सा. पिपलिया के नाम ग्राम बांसा के आ.नं. 37 रकवा 1.16 है. भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसके मिलान क्षेत्रफल से पुराने नम्बर 598/14 रकवा 4 बीघा 12 बिस्वा है। मौका निरीक्षण से प्रार्थी गोरधनसिंह पिता गोकलसिंह का आराजी नं. 37 पर कब्जा पाया गया तथा इसी आराजी पर काश्त कर रहे है। अभी वर्तमान नक्शा एवं सेटलमेंन्ट से पूर्व का नक्शा का मिलान किया गया जिसमें सेटलमेंन्ट से पूर्व के आराजी नं0 14 मी.. 598/14 का नक्शा तरमीम, वर्तमान नक्शा आ०नं० 31, 37 की तरमीम सही पाई गई। इस प्रकार सेटलमेंन्ट बाद नक्शा में तरमीम गलत दर्ज नहीं हुई। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। वर्तमान नक्शा एवं सेटलमेंन्ट से पूर्व का नक्शा एवं मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि तरमीम गलत दर्ज नहीं हुई है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:57:24 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्[illegible] 131,136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का साबित नहीं होने से [illegible] किया [illegible] है। [illegible]ण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2024 को लिखाया [illegible] खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Scanned by CamScanner